जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.10.2024

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा ग्राम लांक में ई रिक्शा चालक की हत्या की घटना में लिप्त/वांछित 01 हत्याभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू व कार बरामदः-

दिनांक 06.10.2024 को वादी मोहित पुत्र नवाब सिंह निवासी ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ने अपने चाचा श्री बाबूराम पुत्र गजे सिंह की गांव के ही एक युवक द्वारा अवैध सम्बन्ध को लेकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली शामली पर नामजद तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।। उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, स्थानीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करते हुये, मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 09.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम लांक में ई रिक्शा चालक की हत्या की घटना में लिप्त/वांछित 01 हत्याभियुक्त को मन्ना माजरा फ्लाईओवर के पास से मय आलाकत्ल चाकू व गाड़ी वैगनआर HR10Q6945 सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अमित उर्फ मित्ता ने पूछताछ पर बताया कि मैं ग्राम लांक का ही रहने वाला हूँ लेकिन पिछले 10-12 साल से सोनीपत में रहकर रोड़ी डस्ट का काम करता हूं। मेरी पत्नी की करीब तीन महीने पहले बीमारी से मृत्यु हो गई थी। जिससे परेशान होकर में शराब का सेवन करने लगा था। बाबूराम रिश्ते में मेरा तहेरा भाई लगता था। एक साल पहले बाबूराम ने अपनी बेटी की शादी के लिए मुझ से तीन लाख रुपये उधार लिये थे। मै लगातार बाबूराम से अपने रुपये मांग रहा था। लेकिन वह टालमटोल करता रहा। बाबूराम के घर आने जाने पर मेरे उसकी पत्नी से प्रेम सम्बन्ध हो गये थे। हमारे सम्बन्धों का बाबूराम को पता चल गया था। तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी व रुपये भी लौटाने से मना कर दिया। बाबूराम शामली में ई रिक्शा चलाता था और शराब पीकर घर आता था। मैं दिनांक 05.10.2024 को शाम को करीब पांच बजे अपनी वैगनआर गांड़ी से लांक गांव में बम्बे वाले रास्ते पर बाबूराम का इंतजार करने लगा। शाम करीब छः बजे बाबूराम ई रिक्शा से वापस आया। मैने उससे अपने रुपये वापस मांगे उसने देने से मना करते हुए घरवाली का पीछा छोडने व ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैने चाकू से बाबूराम की मौके पर ही हत्या कर दी तथा सोनीपत भाग गया था।आज आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अमित उर्फ मित्ता पुत्र सतपाल निवासी ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली। हाल निवासी गोहाना रोड़, इंडियन कालोनी जनपद सोनीपत(हरियाणा)।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद चाकू (आलाकत्ल)।

2.घटना में प्रयुक्त गाड़ी वैगनआर HR10Q6945।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रोटन/रतौन्ध में विद्युत विभाग की टीम पर एक राय होकर जान से मारने नियत से हमला कर मारपीट व गाली गलौज करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 09.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रोटन/रतौन्ध में विद्युत विभाग की टीम पर एक राय होकर जान से मारने नियत से हमला कर मारपीट व गाली गलौज करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि आज दिनांक 09.10.2024 को वादी श्री रविन्द्र सिंह अवर अभियन्ता विद्युत उपकेन्द्र मन्सूरा अपनी विद्युत टीम के साथ 8-10 व्यक्तियों के द्वारा एक राय होकर जान से मारने नियत से हमला कर मारपीट, गाली-गलौज करने व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगणों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी झिंझाना को निर्देशित किया गया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.इरशाद पुत्र मंजुरा निवासी रोटन/ रतौन्ध थाना झिझाना जनपद शामली।

2.सलीम पुत्र गेन्दा निवासी ग्राम रोटन/ रतौन्ध थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 09.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रिंकु पुत्र राजकुमार निवासी पटाक माजरा थाना बबैन जनपद करूक्षेत्र (हरियाणा)।

प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 07 मामलों में 09 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 23,300/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1.वर्ष 1998 में अभियुक्त साजिद पुत्र अब्दुल वहीद निवासी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर 46/1998 धारा 429/511भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 08.10.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व उपरोक्त धाराओं कुल 1000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.वर्ष 2003 में अभियुक्त जुआरी पुत्र झनक बावरिया निवासी आदमपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 84/03 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 08.10.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 500/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.वर्ष 2000 में अभियुक्त तखत सिंह पुत्र हजारा सिंह निवासी कमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 332/2000 धारा 323/324/504/452 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 08.10.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व उपरोक्त धाराओं में कुल 1300/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.वर्ष 1990 में अभियुक्त विजयपाल पुत्र हीरा बावरिया निवासी मस्तगढ थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 95/1990 धारा 427/435/504/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.10.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व उपरोक्त धाराओं में कुल 2000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5.वर्ष 2004 में अभियुक्त यासीन पुत्र समयदीन निवासी मौ0 खेल थाना काँधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 261/2004 धारा 25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व उपरोक्त धारा में कुल 2000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

6.वर्ष 2010 में अभियुक्त रवि पुत्र पूरण निवासी मौ0 दरबार खुर्द थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 635/2010 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व उपरोक्त धारा में कुल 1500/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

7.वर्ष 2006 में अभियुक्तगण 1.शान मौहम्मद पुत्र युसुफ 2.आस मौहम्मद पुत्र युसुफ 3.शराफत पुत्र इकराम निवासीगण ग्राम सुदना थाना काँधला के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 330/2006 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.10.2024 को माननीय न्यायालय ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व उपरोक्त अभियुक्तगण पर कुल 15000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.साजिद पुत्र अब्दुल वहीद निवासी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.जुआरी पुत्र झनक बावरिया निवासी आदमपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
3.तखत सिंह पुत्र हजारा सिंह निवासी कमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली ।
4.विजयपाल पुत्र हीरा बावरिया निवासी मस्तगढ थाना झिंझाना जनपद शामली ।
5.यासीन पुत्र समयदीन निवासी मौ0 खेल थाना काँधला जनपद शामली।
6.रवि पुत्र पूरण निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द थाना कैराना जनपद शामली।
7.शान मौहम्मद पुत्र युसुफ निवासी ग्राम सुदना थाना काँधला जनपद शामली।
8.आस मौहम्मद पुत्र युसुफ निवासी ग्राम सुदना थाना काँधला जनपद शामली।
9.शराफत पुत्र इकराम निवासी ग्राम सुदना थाना काँधला जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAML